

7050A
 Chelva
 29/9

स्वीकृत

- 1- सेवा का नाम - श्री विष्णु यात्रा आध्यात्मिक विद्यालय
- 2- सेवा का पता :- भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर-जिला-करीमगढ़
- 3- पता :- जलम जिला करीमगढ़ में होगा।
- 4- उद्देश्य -

(क) श्री विष्णु यात्रा आध्यात्मिक विद्यालय, राजपुर पोस्ट-सुनहर, जिला करीमगढ़ का अंतिम परिष्कार तथा पशुधनी उन्मत्त के लिए प्रयास करना।

(ख) जागो के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए उन्हे वैज्ञानिक प्रत्यात्मक साहित्यिक, नैतिक, शारीरिक, व्यावहारिक तथा जलम प्रकार के उपयोगी वेबन प्रकार की सेवा प्रदान करना।

(ग) सेवा सेवा को स्थापित करने उद्देश्य विस्तार करने और उन्को प्रगति के लिए आवश्यक धन भण्ड और उन्मत्त प्राप्त करना।

(घ) उपरोक्त उद्देश्यों को पूर्ण रूप तक पूर्ण करना परन्तु जलम प्रकार की उन्मत्त संश्लेषण संवत् 21 जू 1860 को घाटा 20 के उन्मत्त होवे।

(ङ) कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के नाम भी, अन्ततम रूप पर जिला सेवा के निम्नानुसार कार्य भार पौधा गया है।



क्र.सं.	नाम	पद	पता	व्यवस्था
1-	श्री कृष्ण शरण सिंह	अध्यक्ष	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर जिला-करीमगढ़	पृथिक
2-	श्री गीरेन्द्र कुमार शुक्ल	सहाय	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़ जिला	व्यापार
3-	श्री गणेश सिंह	उप-अध्यक्ष	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	पृथिक
4-	श्री लखन शरण सिंह	सचिव	" " " "	" "
5-	श्री मन्मथ शरण	उप-सचिव	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	" "
6-	श्री सपुराम सिंह	सहाय	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	" "
7-	श्री मोतीलाल	अध्यक्ष	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	" "
8-	श्री बाबू सिंह शरण	सहाय	भाग्य-राजपुर, करीमगढ़	" "
9-	श्री श्रीधर शरण	"	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	" "
10-	श्री श्रीधर शरण	"	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	नीकरी
11-	श्री गणेश शरण	"	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	पृथिक
12-	श्री लखन शरण	"	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	कानपुरी
13-	श्री लखन शरण	"	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	पृथिक
14-	श्री लखन शरण	"	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	" "
15-	श्री लखन शरण	"	भाग्य-राजपुर, पोस्ट-सुनहर, करीमगढ़	" "

जिला सेवा के निम्नानुसार कार्य भार पौधा गया है।
 2- श्री लखन शरण
 3- श्री लखन शरण
 4- श्री लखन शरण

श्री लखन शरण
 भाग्य-राजपुर
 10/8/99

कार्यकारिणी कर्मियों का निर्वाचन करना , संस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रस्ताव करना तथा नीति निर्धारित करना और गत वर्ष का हिसाब स्वीकृत करना और वर्ष का आय-व्यय का लेखा पत्र बनाना ।

2- वर्ष कारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- समिति द्वारा संघीयता विधा संस्था का कार्य संचालित करना ।
- 2- गत वर्ष के आय व्यय के लेखा तथा वार्षिक बजट बनाना और उसे साधारण सभा के स्वीकृत के लिए रखना ।
- 3- विगतवर्षक विषयों पर निर्णय देना ।

4- रिक्त स्थानों की पूर्ति :-

1- कार्यकारिणी के हुए रिक्तों एवं आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के कर्मियों में आदर्श द्वारा करना उसे एक के अधिक रिक्त स्थान होने पर आदि पूर्ति ही निर्दिष्ट द्वारा पूर्ति करना ऐसे सहजगत् हुए कर्मियों को चुने हुए कर्मियों का कार्य-काल का उचित वर्तमान कार्यकारिणी कार्य के साथ समाप्त हो जायेगा रिक्त स्थानों के आधार पर कार्यकारिणी का कोई भी कार्य अधोचित नहीं होगा ।



करव्य पाना घी स्फुटित करना तथा लेना कर्मियों के प्रचार के समिति के वार्षिक विधित्त या धुआर एवं प्रकल्प करना ।

- 7- समिति के हित के आचरण का करना ।
- 8- भूति एवं सम्पत्ति प्राप्त करना, लेना लेना सज्जित पदों पर लेना कर्मियों रखना और कर्मियों निर्माण करना तथा स्थानान्तरित करना परन्तु स्वार्थ रूप से स्थानान्तरित करने को सभा में साधारण सभा की स्वीकृति अनिवार्य होगी ।
- 9- साधारण सभा के बैठक के लिए विचारणीय विषय निर्धारित करना ।
- 10- अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग एवं कर्मियों का काल करना जो विचार तथा अधि-विचारों द्वारा उसे कर्मियों पर निर्धारित हिले जायेगी ।

3 मालसिंह
मेराभाई
12/11/19

11- अध्यापक कर्मियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (क) अध्यापक (ग) अध्यापक की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा साधारण सभा के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा समिति तथा समिति के अध्यक्ष का अध्यापकों के उत्तरदायी होने ।
- (ख) अध्यापक कर्मियों को समिति तथा अन्य समितियों के कार्य करव्य को देने ।
- (ग) कार्यकारिणी समिति के सुयोग पर अध्यापक कर्मियों को साधारण सभा के पत्र स्वीकार करेंगे ।
- (घ) अध्यापक संस्था और संस्था के समितित्त सभी अन्य अध्यापकों के देव देव के लिए उत्तरदायी होंगे ।
- (ङ) अध्यापक कर्मियों को साधारण सभा के पत्र पर हिले प्रकल्प समिति की सेवा करेंगे तो उन्हें अध्यापक के अधिकारों एवं कर्तव्यों के अनुसार उस पत्र के अधिकारों को मरहूर करना होगा ।

रज्य प्रतिभा
अध्यक्ष
12/11/19

(घ) 1000=00 रुपये से अधिक धनराशि का भुगतान संस्थापक की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकेगा।

उपबन्ध :- (अ) व्यापार तथा सर्व कार्रवारियों के अधिकारों की अखण्डता करना और निर्दिष्टावधि तक का प्रयोग करना।

(आ) निधियों तथा उद्योगों की व्यवस्था करना। उद्योगों में अनुज्ञापन करना तथा अनुज्ञापन और कार्रवारियों को रखा गेहू, सभी संभव उपाय करना।
उपबन्ध :- उद्योग की अनुसंधानों में उपबन्ध सभी कार्यों को करेगा।

शर्त :- (अ) जोतिता द्वारा संघर्षित किया गया का प्रत्येक अथवा उन सभी अधिकारों एवं कार्रवारियों का प्रयोग करना जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रत्येकों में निहित है।

(ब) जोतिता द्वारा संघर्षित किया का विरोध न किया हुआ तथा व्यय का परिशिष्ट किया तथा अन्य मान्यता कार्रवारियों के अन्त रहना।

(ग) जोतिता द्वारा संघर्षित किया के धन की निवोधित करना यैत कि अन्त में प्रस्तावितों और तिन व्यापार नियम तथा शर्तों के अन्त स्वीकृत ही।

(घ) व्याज फन्ड के अतिरिक्त किया की सभी समिति धन को सुरक्षा और व्यय का कार्रवारियों की आनुसार प्रत्येक करना।

(ङ) जोतिता संघर्षी सभी संस्थान्तरण या ठेके वाले अन्य समितियों पर हस्तक्षर करना जो जोतिता की अन्त समिति से संघर्षित हो और अन्त सभी समितियों का तिथना रूप तक धन को राशि 1000/=रु से अधिक न हो। इतनी अधिक पर संस्थापक की अनुमति लेने की आवश्यकता होगी कार्रवारियों को पैक चुनाव कार्रवारियों रजिस्टर्ड में कार्रवारियों तिथना का तिथनाना।

(च) जोतिता के प्रत्येक एवं शासन से सम्बन्धित सभी पत्र व्यवहार करना तथा रजिस्टर्ड में अन्य तिथनों में संघर्षित समितियों को राजा तथा राजान।

(छ) जोतिता द्वारा संघर्षित किया किया के प्रधानाचार्य द्वारा किया के कार्रवारियों का अन्य अधिकारों से पत्र व्यवहार करना।

(ज) कार्रवारियों के तिथनों की अवस्थित करने वाले बैंक/कॉम्प्यूटिड सॉल्यूटी का कार्य करना और निर्दिष्टावधि अन्त्यों मामलों पर जोतिता की निर्णित है।

(झ) जोतिता द्वारा सभी निर्णय को सभी कार्रवारियों का जोतिता से प्रतिनिधित्व करना, संश्लेष तथा व्यय का सेवा हैकर करते कार्रवारियों के अन्त रहना तथा कार्रवारियों निर्णित (गारिड) का प्रत्येक करना।

(ञ) संस्थापक तथा कार्रवारियों के निर्णित पत्र आने अथ से हस्तक्षर करने देना और तिथनी अनुसंधान अथवा कार्रवारियों द्वारा संघर्षित सभी अधिकारों का प्रत्येक करना तथा कार्रवारियों का पालन करना।

उप शर्त :- शर्तों की अनुसंधानों में से सभी कार्य करेगा जो शर्तों द्वारा सम्बन्धित किए गते हैं।

सौपाबन्ध :- (अ) जोतिता के द्वारा संघर्षित किया का समय धन तिथनी पैक या जोरुद धारण में पत्र करना तिथनी कार्रवारियों अनुसंधान करेगी किन्तु सौपाबन्ध जोतिता के धन में से 500/=रु में तक धरने पाया रख सकेगा।

(ब) जोतिता का निर्णय राजा और व्यय करना तथा ^{मान्यता} ~~निर्णय~~ के आदेशानुसार भुगतान करना।

अधिकार :- व्याज एवं जो जोरुद किया के सभी तिथनों को पालन करना।



Handwritten notes in Hindi:
जोतिता की
शर्तों की
उपबन्ध

Handwritten signature and stamp:
अन्त प्रति...
अन्त प्रति...
अन्त प्रति...

(व) विचार के दिनों को रिपोर्ट ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ को देना ।
11- बैठकें और तलाशें :-

साधारण सभा की बैठकें :- साधारण सभा की बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार सभा के कार्यालय में होने निकाली जानगी 15 दिन पूर्व देनी होगी ।
कार्यकारिणी की बैठकें :- कार्यकारिणी की बैठकें वर्ष में कम से कम 4 बैठकें होने जो तीन महीने के अंतर से होने चाहिए बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व का बालिगों और बैठक की तिथि के कार्यालय पर ही होने आवश्यक कार्यों के ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ द्वारा 1/4 सदस्यों की भाग पर लिखित बैठक निश्चित दिनांक ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ विचारार्थ चार दिन पूर्व की सूचना कर सूचना अज्ञात है यदि ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ बैठक के दिनों में साधारण सभा के कार्यकारिणी विचार निम्नर कार्यकारिणी के अधिकारों के अस्तित्व में आ सकता है 10 दिन के ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ अन्तर साधारण सभा के अन्तर्गत बैठकें करा कर ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ के कार्य से सम्बन्धित कार्य ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ अन्त साधारण सभा ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ को देनी चाहते हैं तो ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ को सूचना प्रेषण कर दिया जायेगा ।

12-(क) गणपूर्ति का क्षेत्र :-

- (1) साधारण सभा की गणपूर्ति अल्पतम सदस्यों की 2/3 होगी ।
- (2) कार्यकारिणी की गणपूर्ति 50% होगी ।
- (3) स्वयंसेवकों की गणपूर्ति साधारण सभा या कार्यकारिणी बैठक में गणपूर्ति आवश्यक न होगी परन्तु ऐसे अधिवेशनों में सूचना उत्तमवित्त दिनों के अतिरिक्त अन्य दिनों पर विचार न हो सकेगा ।

3 सभामें का धन :- (क) सभामें का धन किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा होगा ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ द्वारा निश्चित तथा जमा कर लीने ।

- (ख) बैंक या पोस्ट ऑफिस की पास बुक सभामें के कार्यालय में प्रधानाचार्य के देखरेख में रखेगी ।
- (ग) कार्यकारिणी के अधिवेशनों में निम्नतर 3 बार अवश्य पत्र न बाने पर ही अल्प उपस्थित नहीं होगी उनका स्थान रिक्त हो जायेगा और उनके स्थान की पूर्ति साधारण सभा कर सकेगी ।

14- अन्य नियम :- (क) यह सभामें उन शर्तों तथ्या अधेशों का धारण करेगी जो विभागा विभाग भवना ज्ञान द्वारा अन्य समय पर लागू होंगे जायेगे ।

(ख) साधारण सभा सभामें तथा सभामें के लोको उन अधिवेशनों तथा प्रश्नों पर होंगे जायेगे जो विभागा विभाग द्वारा स्वीकृत हों ।

15- सभा का विघटन :- सभा होने कारण से विघटित होती है जो अज्ञात रहने-शन एक ही घंटा 13-14 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

16- अज्ञात कार्यवाही :- पत्र प्रेषण के सुझावों ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ के तहत के अन्तर ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ को जायेगी विचारों के ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ ।

17- विधान में संशोधन :- सभामें के अधिवेश साधारण सभा की विशेष बैठक में किये जायेगे । बैठक का क्षेत्र सदस्यों का अल्पतम 2/3 होगा अधिवेशित सदस्यों को 3/5 के बहुमत से प्राप्त होने पर संशोधन पत्र लीने ।

18- अधिकार :- सभा के पास नकार दिया जाता है कि एक बार कोई अधिवेशित सूचना अज्ञात जायेगी निम्नतम ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ कार्यकारिणी सभामें लीने । यह सभामें रिपोर्ट ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ के पास ^{मन्त्री} ~~मन्त्री~~ साधारण सभा में प्रस्तुत सभामें ।

19- सभा का कार्य :- सभा के कार्य तलाशें जायेगी ।



नग पालीटि
मैरिसा थिए
20/11/2018

रज्य पतिलि
बिहार राजधानी
20/11/2018

20- तंत्रों के कर्तव्य में निम्नलिखित ज्ञात हैं :-

- (क) सत्यता रक्षक
- (ख) सत्यता रक्षक
- (ग) सत्यता रक्षक
- घ) सत्यता
- (ङ) सत्यता रक्षक

21- सत्यता का अर्थ :-

- (क) सत्यता शून्य
- (ख) सत्यता शून्य

22- सत्यता के अर्थ में कौनसे दो वाक्यों में सत्यता का अर्थ है :-

- (क) यदि कोई सत्यता शून्य देता है या उससे सत्यता को जानता है
- (ख) यदि कोई सत्यता शून्य देता है तो सत्यता शून्य नहीं होगा
- (ग) यदि कोई सत्यता शून्य देता है या सत्यता शून्य देता है
- (घ) यदि कोई सत्यता शून्य देता है तो सत्यता शून्य नहीं देता है
- (ङ) यदि कोई सत्यता शून्य देता है तो सत्यता शून्य देता है

(सत्य प्रतीति)



लखनऊ पालिका

औरंगाबाद

- 3- मंगल
- 4-
- 5-

दिनांक 18-6-79

सत्यता शून्य
 लखनऊ पालिका
 औरंगाबाद
 मंगल
 18/6/79

श्री सिद्ध बाबा माध्यमिक विद्यालय ग्राम रामपुर पो० सुनपहर तह० खरौली जिला अलीगढ़
 सूची
 प्रबन्धकारिणी समिति वर्ष - 1999-2000

क्र.सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1१	श्री कृष्ण पाल सिंह	ग्राम रामपुर पो० सुनपहर अलीगढ़	संस्थापक	कृषि
2१	श्री होती सिंह	ग्राम सिरसा पो० विजौली अलीगढ़	अध्यक्ष	नौकरी
3१	श्री भजन लाल	ग्राम मजमूर पो० मीरमूर अलीगढ़	उपाध्यक्ष	कृषि
4१	श्री बोधपाल सिंह	ग्राम सिरसा पो० विजौली अलीगढ़	मंत्री	"
5१	श्री ओमप्रकाश सिंह	ग्राम तोड़ीगढ़ पो० वास अलीगढ़	उप मंत्री	"
6१	श्री होशियार सिंह	ग्राम नगला लोधईपो० जहांगीराबाद बुलन्दशहर	आर्थिक	"
7१	श्री सधुराज सिंह	ग्राम रामपुर पो० सुनपहर अलीगढ़	बोधाध्यक्ष	"
8१	श्रीमती लीलावती	ग्राम सिरसा पो० विजौली अलीगढ़	सदस्य	गृहणी
9१	श्री निरजन सिंह	ग्राम रामपुर पो० सुनपहर अलीगढ़	"	कृषि
10१	श्री प्रमोद सिंह	ग्राम सिखरना पो० वास अलीगढ़	"	"
11१	श्री छत्तर सिंह	ग्राम सिरसा पो० विजौली अलीगढ़	"	"
12१	श्री श्याम लाल	ग्राम रामपुर पो० सुनपहर अलीगढ़	"	"
13१	श्री अमित कुमार	ग्राम लट्ठा पो० वास मजमूर-फर नगर	"	"
14१	श्री वीरपाल सिंह	ग्राम जिनाई पो० विरौली बुलन्दशहर	"	"
15१	श्री लक्ष्मी चन्द	ग्राम छरौं पो० छरौं अलीगढ़	"	"
16१	श्री लखन पाल सिंह	ग्राम रामपुर पो० सुनपहर अलीगढ़	"	"
17१	श्री अजयपाल सिंह	बी.एच-205 केदार नगर शाहगंज आगरा	"	"
18१	श्री हरी सिंह	ग्राम सिरसा पो० विजौली अलीगढ़	"	"
19१	श्री मती प्रेम वती	"	"	गृहणी



बोधपाल सिंह
 निरजन सिंह

Ajay Solanki
 हरी सिंह

श्री प्रताप
 अध्यक्ष
 निरजन सिंह
 10/8/99

नाम - श्री सिद्धबाबा माध्यमिक विद्यालय,
ग्राम रामपुर पोस्ट सुनपहर ताहसील आतरीली जिला अलीगढ़
चुनाव कार्यवाही

पूर्व सूचनानुसार आज दिनांक- 17-09-2015 को सुलग 1000 बजे साधारण
सभा की एक विशेष बैठक संस्था अध्यक्ष श्री कुमरलत सिंह जी की अध्यक्षता में आयुक्त की गई संविधि की
बैठक में कुल साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यों की उपस्थिति है कोरम नियमानुसार पूर्ण है
अतः बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है:-

प्रस्ताव नं. 1 -

पिछली कार्यवाही की
पुष्टि पर विचार

उपरिष्ठ सदस्यों के मध्य में संस्था की पिछली कार्यवाही सुनाई गई जिसे सभी
सदस्यों ने चुन चुकनेवाले से प्राप्त कल पारित कर दिया ।

प्रस्ताव नं. 2-

चुनाव कार्यवाही पर
विचार :-

उपरिष्ठ सदस्यों के मध्य श्री अरविन्द कुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि संस्था
का कार्यकाल समाप्त हो चुका है अतः आज की बैठक में नवीन कार्यकारीनी का
चुनाव कर लिया जाये काली देर बिना निर्णय को उपरोक्त यह निर्णय लिया गया
कि पूर्व की कार्यकारीनी काली सत्कारणक कार्य कर रही है अतः यथावत पदों
पर चुन ली जाये कार्यकारीनी इस प्रकार है -

1- श्री कुमरलत सिंह	अध्यक्ष
2- श्री विजय कियोरे	उपध्यक्ष
3- श्री अरविन्द कुमार	मंत्री
4- श्री बालकृष्ण सिंह	उपमंत्री
5- श्री बालकृष्ण	आयुक्त
6- श्री सोनियार सिंह	कोषाध्यक्ष
7- श्री रवींद्र सिंह	सदस्य
8- श्रीमती सोनवती	सदस्य
9- श्री निरंजन सिंह	सदस्य
10- श्री प्रमोद सिंह	सदस्य
11- श्री प्रमोद सिंह	सदस्य
12- श्री हरमल्ल	सदस्य
13- श्री अरविन्द कुमार	सदस्य
14- श्री मोहन सिंह	सदस्य
15- श्री लखवीर सिंह	सदस्य
16- श्री विनोद सिंह	सदस्य
17- श्री अजयपाल सिंह	सदस्य
18- श्री हरी सिंह	सदस्य
19- श्रीमती शैलजा	सदस्य

वेदप्रसाद सिंह

Chh

अभिषेक

Signature

अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण अध्यक्ष महोदय
ने कार्यवाही सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए सभा समाप्त की घोषणा
की ।

संस्थापिका

SECRETARY
Shri Siddh Baba Pharmacy College
Rampur Sunpahr, Atrauli, Aligarh

Signature
Chairman
Shri Siddh Baba Pharmacy College
Rampur Chharia (Aligarh)